बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक: 09/प्रयोग–107/2022 202   दिनांक: 01/02/2023

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीर चन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के वाद संख्या 325/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य के 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले 920 तालाबों/पोखरों के जल नमूनों की जाँच जिला जल जांच प्रयोगशाला के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रयोगशाला में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों, जल नमूना संग्रहण बोतल, ग्लासवेयर एवं रसायन एवं अन्य उपभोग सामग्रियों के क्रय हेतु रू० 57.86058 लाख (संतावान लाख छियासी हजार अनठावन रूपये) व्यय के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:–स्वीकृति।

2. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन०जी०टी०) में दायर वाद संख्या 325/2015 में पारित आदेश में निदेशित किया गया है कि वैसे सार्वजनिक जल संरचनाएँ जिनका उपयोग नहाने अथवा पानी पीने के स्रोत में किया जाता है, को चिन्हित कर पुनर्उद्धार हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण कराया जाय। इस संबंध में मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली मिशन (ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार) के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से अनुरोध किया गया कि राज्य अंतर्गत जिलों द्वारा निरीक्षित एवं जल–जीवन–हरियाली पोर्टल पर उपलब्ध 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के तालाबों/पोखरों के जल गुणवत्ता की जांच विभागीय जल जांच प्रयोगशाला के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया।

3. मिशन निदेशक, जल–जीवन–हरियाली मिशन (ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार) के अनुरोध के आलोक मे प्राप्त 920 सार्वजनिक तालाबों/पोखरों के जल नमूनों का कुल 8 पैरामीटर यथा:– pH, Colour, Temperature, DO, BOD, COD, Total Coliform एवं Faecal Coliform की जाँच त्रैमासिक रूप किये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, इस संबंध में जिला जल जाँच प्रयोगशाला में सतही जल जाँच हेतु आवश्यक उपस्कर, उपकरण एवं रसायन आदि उपभोग सामग्रियों की उपलब्ध सुनिश्चित कराते हुए एक सुसंगत व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उपर्युक्त आलोक मे जिला जल जाँच प्रयोगशाला में BOD Incubator, DO Metre, Colorimeter, Stand with Clamp, Hot Plate, Thermometer के साथ–साथ BOD बोतल, DO बोतल एवं परीक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाले रसायनों के व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु आवश्यकता आकलन किया गया।

4. विभागीय लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 920 सार्वजनिक तालाबों/पोखरों के जल नमूनों का कुल 8

पैरामीटर पर गुणवत्ता जाँच छः प्रयोगशालों यथाः राज्य रेफरल प्रयोगशाला, छज्जुबाग, पटना तथा जिला जल जाँच प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर, भागलपुर पूर्व, अररिया, बिहारशरीफ एवं सासाराम के द्वारा किये जाने के प्रस्ताव है जिसमें निम्नवत् उपकरणों, उपस्करों, रसायन एवं अन्य उपभोग सामग्रियों के क्रय की आवश्यकता होगी–

क्र0 सं0	विवरणी	अनुमानित व्यय राशि (रू0 में)	अभियुक्ति
1.	Glassware & Other Item	1647668.04	
2.	Instruments with 3 years AMC	2033430.00	
3.	Chemicals	2104960.00	
	TOTAL	**5786058.04**	

5. प्रति प्रयोगशाला सार्वजनिक तालाबों के जल नमूनों के जाँच हेतु अधिप्राप्ति किये जाने वाले उपकरणों, जल नमूना संग्रहण बोतल, ग्लासवेयर एवं रसायन एवं अन्य उपभोग समाग्रियों पर किये जाने वाले व्यय रू0 9,64343/– तक **(परिशिष्ट–क संलग्न)** किया जाना मान्य रहेगा।
6. प्रयोगशाला में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों, जल नमूना संग्रहण बोतल, ग्लासवेयर एवं रसायन एवं अन्य उपभोग समाग्रियों के क्रय बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत नियमों के आलोक में संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के द्वारा किया जायेगा।
7. प्रस्तावित योजना में होने वाला व्यय योजना मुख्य शीर्ष 4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय उप शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–102–ग्रामीण जल पूर्ति–उपशीर्ष–0125–जल गुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन–विपत्र कोड–36–4215–011020125 विषय शीर्ष–53–01 मुख्य कार्य में भरितव्यय होगा।
8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल होंगे। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। आवश्यकतानुसार इस योजना हेतु राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत खोले गये बैंक खाते/पी०एल० खाते के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा सकेगी।
9. अनुमोदित राशि का उपयोग केवल योजना के अनुमोदित मदों में ही किया जायेगा और इस पर कोई विचलन नहीं किया जायेगा।
10. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/3758/वि० दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।
13. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

31.1.23

(अशोक कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

N.K.Singh

ज्ञापांकः 6ए/प्रयोग–107/2022 209 दिनांकः 01/02/2023

प्रतिलिपिः वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकार, सचिवालय कोषांगार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/बजट पदाधिकारी/मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार)/मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता, सभी लोक स्वास्थ्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, सभी लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/प्रशाखा 6ए/आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

3. माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31.1.23

(अशोक कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

N.K. Singh

परिशिष्टि–क

सार्वजनिक तालाबों के जल नमूनों के जाँच हेतु जिला वार उपकरण, ग्लासवेयर एवं रसायन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

क्र0 सं0	जिला का नाम	ग्लासवेयर एवं अन्य सामाग्री (रू0 में)	उपकरण (रू0 में)	रसायन (रू0 में)	कुल
1	राज्य रेफरल प्रयोगशाला	274611.33	338905.00	350826.66	964343.00
2	मुजफ्फरपुर	274611.33	338905.00	350826.66	964343.00
3	भागलपुर पूर्व	274611.33	338905.00	350826.66	964343.00
4	अररिया	274611.33	338905.00	350826.66	964343.00
5	बिहारशरीफ	274611.33	338905.00	350826.66	964343.00
6	सासाराम	274611.33	338905.00	350826.66	964343.00
कुल		**1647668.00**	**2033430.00**	**2104960.00**	**5786058.00**

31.1.23

(अशोक कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

N.K. Singh